भाग ४ (ग)

अन्तिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

पंचम् तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल–462016

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2021

क्र. 1693–मप्रविनिआ–2021, विद्युत् अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 सहपठित धारा 61(ज), 66, 86(1)(ङ) द्वारा प्रदत्त अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन पश्चात् मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग निम्नलिखित विनियम बनाता है :–

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन}, (पुनरीक्षण–द्वितीय), विनियम, 2021

1. संक्षिप्त शीर्षक, सीमा तथा प्रारंभ :

1.1 ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन) (पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम, 2021 {आरजी–33(II), वर्ष 2021}"** कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे।

1.3 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य के "राजपत्र" में इनकी प्रकाशन तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं:

(एक) **"एबीटी (अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ)"** से अभिप्रेत है उपलब्धता आधारित विद्युत–दर (टैरिफ);

(दो) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) तथा इसमें किये गये अनुवर्ती संशोधन;

(तीन) **"आबद्ध उपयोगकर्ता"** से अभिप्रेत है आबद्ध विद्युत संयंत्र में उत्पादित विद्युत का अन्तिम छोर उपयोगकर्ता तथा पारिभाषिक शब्द "आबद्ध उपयोग" का अर्थ तद्नुसार लगाया जाएगा;

(चार) **"केन्द्रीय अभिकरण"** से अभिप्रेत है ऐसा अभिकरण जो राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र को संचालित कर रहा हो या फिर अन्य अभिकरण जैसा कि केन्द्रीय आयोग समय–समय पर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु विनिर्दिष्ट करे;

(पांच) **"केन्द्रीय आयोग"** से अभिप्रेत है केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग जैसा कि अधिनियम की धारा 76 की उपधारा (1) में इसे उल्लेखित किया गया है;

(छः) **"प्रमाण–पत्र "** से अभिप्रेत है केन्द्रीय अभिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की गई प्रक्रियाओं के अनुसार केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्र की मान्यता तथा इसे जारी किये जाने संबंधी निबन्धन तथा शर्तें संबंधी विनियम, यथा 'Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issue of Renewable, Energy Certificate

Generation) Regulations, 2010' यथासंशोधित द्वारा जारी नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्र ;

(सात) **"विद्युत सह–उत्पादन"** से अभिप्रेत है एक ऐसी प्रक्रिया जो एक साथ उपयोगी ऊर्जा के दो या दो से अधिक प्रकारों का उत्पादन करती है (विद्युत को सम्मिलित करते हुए);

(आठ) **"आयोग"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग जैसा कि इसका उल्लेख अधिनियम की धारा 82 की उपधारा (1) में उल्लेख किया गया है ;

(नौ) **"वितरण अनुज्ञप्तिधारी"** से अभिप्रेत है, एक अनुज्ञप्तिधारी जो उपभोक्ताओं को उसके विद्युत प्रदाय क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत की आपूर्ति हेतु एक वितरण प्रणाली के संचालन तथा रखरखाव हेतु प्राधिकृत है;

(दस) **"डीएसएम"** से अभिप्रेत है विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि (डेवियेशन सेटलमेंट मैकेनिस्म) ;

(ग्यारह) **"वहनीय दर"** से अभिप्रेत है नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्र की मान्यता तथा इसे जारी किये जाने संबंधी निबन्धन तथा शर्तें संबंधी विनियम, यथा 'Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issue of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010' यथासंशोधित के अनुसार केन्द्रीय आयोग द्वारा अवधारित उच्चतम मूल्य दर जिसके अनुसार केवल नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्रों (आरईसी सर्टिफिकेट) का ही पावर एक्सेचेंज पर संव्यवहार किया जा सकता है;

(बारह) **"ननऊमं (एमएनआरई)"** से अभिप्रेत है, भारत सरकार का नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय;

(तेरह) **"आबन्धित इकाई"** से अभिप्रेत है वितरण अनुज्ञप्तिधारी, आबद्ध (कैप्टिव) उपयोगकर्ता तथा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता जो इन विनियमों के अन्तर्गत नवीकरणीय क्रय आबन्धन (रेन्यूएवल पर्चेज आवलीगेशन) के परिपालन के अधिदेशाधीन हैं;

(चौदह) **"निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता"** से अभिप्रेत है एक ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा यथासंशोधित 'CERC (Open Access in Inter State Transmission) Regulation, 2008' या विनियम यथाप्रयोज्य मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच प्रणाली की निबन्धन तथा शर्तें) विनियम के अधीन निर्बाध (खुली) पहुंच का लाभ प्राप्त किया गया है तथा इनमें सम्मिलित होंगे लघु–अवधि पारेषण/वितरण उपभोक्ता जैसा कि इन्हें केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग/मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट अन्य कतिपय विनियमों में भी परिभाषित किया गया है;

(पन्द्रह) **"पावर एक्चेंज"** से अभिप्रेत है कोई ऊर्जा विनिमय केन्द्र (पावर एक्सचेंज)जो विद्युत के विनिमय (आदान–प्रदान) हेतु केन्द्रीय आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार संचालित किया जा रहा है;

(सोलह) **"नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध (केप्टिव) विद्युत उत्पादन संयंत्र"** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य में किसी व्यक्ति द्वारा प्राथमिक रूप से अपने स्वयं के उपयोग के लिये विद्युत के उत्पादन हेतु स्थापित किया गया नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र तथा इसमें सम्मिलित है विद्युत उत्पादन हेतु मध्यप्रदेश राज्य में किसी सहकारी समिति या फिर व्यक्तियों की संस्था द्वारा स्थापित किया गया विद्युत उत्पादन संयंत्र, प्राथमिक तौर पर ऐसी सहकारी समिति अथवा संस्था द्वारा इसके सदस्यों के उपयोग हेतु जो समय–समय पर यथासंशोधित विद्युत नियम 2005 के नियम 3(1)(क) तथा 3(1)(ख) में अन्तर्विष्ट शर्तों की तुष्टि करता हो ;

(सत्रह) **"नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत"** से अभिप्रेत है, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित ऊर्जा का नवीकरणीय स्त्रोत, जैसे कि जल, पवन, सूर्य प्रकाश, बायोमास, बायोगैस, बगास, नगरपालिक ठोस अपशिष्ट तथा ऐसे अन्य स्त्रोत ;

(अठारह) **"संग्रहणयुक्त नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना"** से अभिप्रेत है संग्रहणयुक्त नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना या फिर नवीकरणीय मिश्रित ऊर्जा के संयोजन से युक्त परियोजना जिसमें ग्रिड में अंतःक्षेपण हेतु एक बिन्दु या अन्तःक्षेपण हेतु अधिकतम दो बिन्दु होते हैं ;

(उन्नीस) **"नवीकरणीय मिश्रित ऊर्जा परियोजना"** से अभिप्रेत है नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना जो विद्युत का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों के संयोजन से करती है जिसके अनुसार यह क्रिया ग्रिड में अन्तःक्षेपण के एकल बिन्दु या फिर अधिकतम अन्तःक्षेपण के दो बिन्दुओं के माध्यम से निष्पादित की जाती है ;

(बीस) **"नवीकरणीय क्रय आबन्धन"** से अभिप्रेत है नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादकों से समस्त आबन्धित इकाईयों द्वारा की जाने वाली विद्युत की न्यूनतम मात्रा की अधिप्राप्ति जिसमें विद्युत के नवीकरणीय स्त्रोतों से सह–उत्पादन भी सम्मिलित है जिसे विद्युत ऊर्जा की वार्षिक अधिप्राप्ति के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है तथा इसमें इन विनियमों के विनियम 3 के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान विद्युत के जल विद्युत स्त्रोतों से खपत हेतु की गई विद्युत की मात्रा को सम्मिलित नहीं किया जाता है ;

(इक्कीस) **"राभाप्रेके"** से अभिप्रेत हैं, राज्य भार प्रेषण केन्द्र (स्टेट लोड डेस्पेच सेंटर) जिसे विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित किया गया है ;

(बाईस) **"सौर फोटो वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र"** से अभिप्रेत है, एक सौर फोटो वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र जो फोटो–वोल्टीय प्रौद्योगिकी के माध्यम से सूर्य के प्रकाश का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हेतु करता है;

(तेईस) **"राज्य अभिकरण"** से अभिप्रेत है आयोग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में नामोद्दिष्ट किया जाने वाला एक राज्यीय समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेंसी) अथवा ऐसा अन्य कोई अभिकरण जिसे इन विनियमों के अधीन नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के प्रमाणीकरण तथा अनुशंसाओं हेतु पंजीकरण तथा कार्यों के उत्तरदायित्व वहन करने का अधिकार होगा;

(चौबीस) **"रापाइ"** से अभिप्रेत है राज्य पारेषण जनोपयोगीं–सेवा इकाई (स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी);

(पच्चीस) **"पारेषण अनुज्ञप्तिधारी"** से अभिप्रेत है एक अनुज्ञप्तिधारी जो पारेषण तन्तुपथों (लाइनों) को स्थापित करने अथवा परिचालित किये जाने के संबंध में उत्तरदायी है; और

(छब्बीस) **"वर्ष"** से अभिप्रेत है किसी केलेण्डर वर्ष के एक अप्रैल से प्रारंभ होकर आगामी केलेण्डर वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष।

जब तक संदर्भ विशेष की अन्यथा अपेक्षा न हो इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जैसा कि इन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है।

भाग–क

3. <u>ऊर्जा के उत्पादन/सह–उत्पादन नवीकरणीय स्त्रोतों से क्रय की जाने वाली विद्युत की मात्रा</u> ;

3.1 समस्त आबन्धित इकाईयों द्वारा ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत के सह–उत्पादन को सम्मिलित करते हुए, न्यूनतम विद्युत की अधिप्राप्ति की जाने वाली मात्रा जो उनकी कुल वार्षिक अधिप्राप्ति के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त की जाएगी, निम्न वित्तीय वर्षो के दौरान निम्नानुसार होगी:–

वित्तीय वर्ष	ऊर्जाके नवीकरणीयस्त्रोतों से विद्युत का उत्पादन तथा सह–उत्पादन		
	सौर ऊर्जा (%)	गैर सौर ऊर्जा (%)	योग (%)
2021–22	8.00%	9.00%	17.00%
2022–23	9.00%	9.50%	18.50%
2023–24	10.00%	10.00%	20.00%
2024–25	11.00%	10.50%	21.50%
2025–26	12.00%	11.00%	23.00%
2026–27	13.00%	11.50%	24.50%

परन्तु यह कि 85% तक की सीमा तक तथा इससे अधिक की प्राप्ति का अनुपालन नवीकरणीय क्रय आबन्धन (आरपीओ) सौर स्त्रोत से तथा अवशेष कमी, यदि कोई हो, की पूर्ति इसके पश्चात् उक्त विशिष्ट वर्ष के लिये विनिर्दिष्ट आधिक्य गैर–सौर ऊर्जा के क्रय द्वारा की जा सकती है :

परन्तु आगे यह और कि 85% तक की सीमा तक तथा इससे अधिक की प्राप्ति का अनुपालन नवीकरणीय क्रय आबन्धन (आरपीओ) गैर–सौर स्त्रोत से तथा अवशेष कमी, यदि कोई हो, की पूर्ति इसके पश्चात् उक्त विशिष्ट वर्ष के लिये विनिर्दिष्ट आधिक्य सौर–ऊर्जा के क्रय से की जा सकती है।

3.2 यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी न्यूनतम क्रय आबन्धन की आपूर्ति करते हैं तथा इसके बावजूद भी उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादकों से, विद्युत सह–उत्पादकों को सम्मिलित करते हुए, प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा निवेशक/ विकासक (डेवलपर्स) ऐसे अतिरिक्त अधिप्राप्ति प्रस्तावों के अनुमोदन के संबंध में आयोग से सम्पर्क कर सकते हैं।

3.3 ऐसे आबद्ध उपयोगकर्ता जो दिनांक 01.04.2016 से पूर्व क्रियाशील किये गये आबद्ध विद्युत उत्पादन संयंत्रों से विद्युत की अधिप्राप्ति कर रहे हों, हेतु नवीकरणीय क्रय आबन्धन (आरपीओ) आयोग, द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु विनिर्दिष्ट स्तर पर होगा।

दिनांक 01.04.2016 के पश्चात की अवधि हेतु क्रियाशील किये गये आबद्ध विद्युत उत्पादन संयंत्रों से विद्युत की अधिप्राप्ति करने वाले आबद्ध उपयोगकर्ताओं के लिये आबद्ध विद्युत उत्पादन संयंत्रों के क्रियाशील किये जाने के वर्ष हेतु प्रयोज्य नवीकरणीय क्रय आबन्धन का स्तर आयोग द्वारा अथवा ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सुसंबद्ध वर्ष हेतु विनिर्दिष्ट नवीकरणीय क्रय आबन्धन (आरपीओ) इनमें से जो भी अधिक हो, लागू होगा :

परन्तु यह कि क्षमता के किसी आवर्धन के प्रकरण में दोनों स्थितियों के लिए, आवर्धित क्षमता हेतु आयोग अथवा ऊर्जा मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट नवीकरणीय क्रय आबंधन (आरपीओ) स्तर इनमें से जो भी वर्ष {जिसमें आबद्ध विद्युत उत्पादन क्षमता का आवर्धन किया गया है} हेतु अधिक हो, होगा।

3.4 यदि कोई आबंधित इकाई उपरोक्त विनियम 3.1 तथा 3.3 की न्यूनतम क्रय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम न हो तो ऐसी आबन्धित इकाई को केन्द्रीय अभिकरण से ऊर्जा प्रमाण–पत्र क्रय करने होंगे जैसा कि इसे विनियमों के भाग–ख में विनिर्दिष्ट किया गया है।

3.5 आबंधित इकाई न्यूनतम क्रय आवश्यकता की शर्त को आयोग द्वारा उक्त सीमा तक शिथिल किया जा सकता है जैसा कि वह युद्ध, हड़ताल, तालाबंदी, दंगे, दैवीय प्रकोप या प्राकृतिक आपदा आदि जैसी आकस्मिक विशेष परिस्थितियों द्वारा प्रभावित हो।

3.6 ऊर्जा के समस्त नवीकरणीय स्त्रोतों तथा नवीकरणीय सह–उत्पादन इकाइयों से ऊर्जा की अधिप्राप्ति एमपी पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा राज्य के स्वामित्व वाले वितरण अनुज्ञप्तिधारियो की ओर से आयोग द्वारा समय–समय पर उसके टैरिफ आदेश में अवधारित की गई विद्युत–दर पर या आयोग द्वारा अपनाई गई विद्युत–दर पर की जाएगी। इस प्रकार अधिप्राप्त की गई ऊर्जा को एमपी पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा समस्त वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को पूर्व वित्तीय वर्ष में कुल वास्तविक ऊर्जा आहरण के अनुपात में आवंटित किया जाएगा।

3.7 विद्युत क्रय अनुबंध को नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कम्पनी/विकासक तथा एमपी पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड (एम पी पी एम सी एल) के मध्य हस्ताक्षरित किया जाएगा, एम पी पी एम सी एल बारी–बारी से वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के साथ एक के बाद एक विद्युत क्रय अनुबंध निष्पादित करेंगे।

3.8 उपरोक्त आवंटन पर, वितरण अनुज्ञप्तिधारी नियंत्रण अवधि के आगामी वर्ष हेतु अपने आवेदन में ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन/सह–उत्पादन विद्युत क्रय की प्रस्तावित मात्रा, वितरण/खुदरा विद्युत–दर के अवधारण हेतु उपरोक्त आवंटन के आधार पर, यथोचित विद्युत क्रय के स्त्रोतों को दर्शाते हुए, प्रकट करेंगे।

3.9 विद्युत क्रय अनुबन्ध(ों) तथा चक्रण अनुबन्ध(ों) के निष्पादन की प्रक्रिया

(क) नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन कम्पनी उसकी मशीन द्वारा उत्पादित विद्युत के विक्रय के बारे में अपने प्रस्ताव के साथ एमपी पावर मैनेजमेंट कम्पनी से सम्पर्क करेगा। विद्युत क्रय से संबंधित प्रस्ताव में मप्रविनिआ (विद्युत कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण) विनियम, 2011 में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार कम्पनी/परियोजना से संबंधित विवरणों को प्रयोज्य प्ररूपों सी (i) से (v) में सम्मिलित किया जाएगा।

(ख) उपरोक्त कार्यवाही के साथ–साथ, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कम्पनी/विकासक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी से भी सम्पर्क करेगा तथा उन्हें उपरोक्त (क) में दर्शाए गए वांछित विवरण प्रस्तुत करेगा ताकि वे अन्तर्संयोजन अध्ययन कार्यान्वित कर सकें। यदि प्रस्ताव को व्यावहारिक पाया जाए तो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कम्पनी/विकासक को आवेदन प्राप्त होने से तीस दिवस के भीतर मय विस्तार/बे (bay) की लागत के प्राक्कलन के साथ अनुमति प्रदान की जाएगी तथा इसकी एक प्रतिलिपि एमपी पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड को पृष्ठांकित की जाएगी। दीर्घ–अवधि पहुंच हेतु एमपी पावर मैनेजमेंट कम्पनी यदि प्रस्ताव को तकनीकी रूप से व्यावहारिक पाती हो तो वह आवेदन प्राप्त होने से 15 दिवस के भीतर इसे अनुमति प्रदान करेगी।

(ग) तत्पश्चात्, एमपी पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड ऐसे प्रकरणों में जहां नवीन अन्तर्संयोजन की आवश्यकता न हो, विद्युत क्रय अनुबन्ध तथा चक्रण अनुबन्ध, यथास्थिति, प्रस्ताव प्राप्त होने से 15 दिवस के भीतर निष्पादित करेगा। ऐसे प्रकरणों में जहां नवीन अन्तर्संयोजन की आवश्यकता हो वहां ये अनुबन्ध वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से अनुमति प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर निष्पादित किये जाएंगे।

(घ) यदि उपरोक्त समय–सीमाओं का परिपालन न किया जाता हो तो आवेदक आयोग से सम्पर्क कर सकेगा।

(ङ) आवेदक विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 10(3)(क) के अनुसार आयोग को विद्युत उत्पादन केन्द्रों के बारे में तकनीकी विवरण प्रस्तुत करेगा।

(च) एमपी पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड प्रत्येक त्रैमास के समापन से 15 दिवस के भीतर उक्त त्रैमास में विद्युत उत्पादन कम्पनी/विकासक के साथ निष्पादित किये गये विद्युत क्रय अनुबन्धों/चक्रण अनुबंधों के विवरण आयोग को प्रस्तुत करेगी।

4. विद्युत क्रय अनुबन्ध (पावर परचेज एग्रीमेंट)

4.1 यदि इसे अन्यथा विद्युत–दर आदेशों में निर्दिष्ट न किया गया हो तो विद्युत क्रय अनुबंध संयंत्र के क्रियाशील होने की तिथि से न्यूनतम 20 वर्ष की अवधि के लिये निष्पादित किया जाएगा, तथापि, यदि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कम्पनी/विकासक स्वयं के उपयोग/तृतीय पक्षकार विक्रय द्वारा खपत के उपरान्त कम अवधि के लिये अपना विकल्प प्रस्तुत करता हो, तो यह अनुबंध अल्पकालिक अवधि के लिये भी निष्पादित किया जा सकेगा।

4.2 नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कम्पनी/विकासक को अनुबंध के निष्पादन से पूर्व समस्त वांछित वैधानिक सहमतियां प्राप्त करनी होंगी। ऐसी सहमतियों की वैधता अनुबंध की सम्पूर्ण अवधि हेतु लागू होंगी।

4.3 एमपी पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड को राज्य के स्वामित्व वाले विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की ओर से आयोग से विद्युत क्रय अनुबन्ध का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

5. संयोजन तथा मापन व्यवस्था (कनेक्टीविटी एण्ड मीटरिंग)

5.1 समस्त नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत के उत्पादन तथा सह–उत्पादन को, केवल छत–शीर्ष (रूफ–टॉप) पर स्थापित सौर पीवी तथा बायोगैस स्त्रोतों को छोडकर, राज्य ग्रिड के साथ अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्धारित की गई तकनीकी उपयुक्तता पर आधारित, 132/33/11 केवी के वोल्टेज स्तर पर संयोजित किया जाएगा। छत–शीर्ष पर स्थापित सौर पीवी स्त्रोत तथा बायोगैस संयंत्रों हेतु, संयोजन न्यून वोल्टेज पर या फिर अथवा 11/33 केवी पर, जैसा कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसे तकनीकी रूप से उपयुक्त माना जाए, अनुमति प्रदान की जा सकेगी।

5.2 विद्युत की निकासी परियोजना का एकीकृत भाग होगी तथा विद्युत निकासी सुविधा से संबंधित समस्त व्यय नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कम्पनी/विकासक द्वारा वहन किये जाएंगे। इस प्रकार संस्थापित की गई अधोसंरचना, भले ही इसकी लागत का भुगतान नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कम्पनी/विकासक द्वारा किया जाए, समस्त प्रयोजनों हेतु संबंधित अनुज्ञप्तिधारी की सम्पत्ति होगी। अनुज्ञप्तिधारी इसका अनुरक्षण रखरखाव नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कम्पनी/विकासक के परिव्यय पर करेगा तथा अन्य किसी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कम्पनी/विकासक से अधिप्राप्त की गई विद्युत की निकासी हेतु, इस शर्त के अध्यधीन कि इस प्रकार की गई व्यवस्था विद्यमान नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कम्पनी/विकासक(ों) को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी, उसे प्रयोग में लाने का अधिकार होगा।

5.3 समय–समय पर जारी किये गये विद्युत–दर आदेशानुसार मापन मानदण्डों हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मापन व्यवस्था की स्थापना उत्पादन केन्द्रों पर राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा ऊर्जा लेखांकन तथा मप्रविनिआ सन्तुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2015, मप्रविनिआ (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन–व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम 2018 तथा जारी किये गये अनुवर्ती संशाधनों, मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता (पुनरीक्षण–द्वितीय), 2019 और मध्यप्रदेश विद्युत वितरण संहिता (जी–29, वर्ष 2006) के अनुसार की जाएगी।

5.4 मापयंत्र (मीटर) का वाचन, यथास्थिति, तत्संबंधी वितरण अनुज्ञप्तिधारी/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाएगा। भुगतान हेतु देयकों के स्वीकार किये जाने के प्रयोजन हेतु, एमपी पावर मैनेजमेंट कम्पनी द्वारा ग्रिड में अन्तःक्षेप किये गये यूनिटों हेतु संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के नामोदिष्ट अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र स्वीकार किया जाएगा।

6. **ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत के सह–उत्पादन तथा उत्पादन हेतु निर्बाध (खुली) पहुंच :**

सह–उत्पादन तथा ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत का उत्पादन करने वाले किसी व्यक्ति को प्रचलित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच प्रणाली की निबन्धन तथा शर्तें) विनियम के अनुसार निर्बाध (खुली) पहुंच की पात्रता होगी।

7. **विद्युत सह–उत्पादन तथा ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों का अनुसूचीकरण :**

क) ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश ग्रिड संहिता, 2009 के उपबन्धों के अनुसार "कार्यक्रम निर्धारण (शेड्यूलिंग)" के अध्यधीन होगा।

ख) 15 मेगावाट तक बायोमास, पवन, सौर, लघु जल–विद्युत तथा नगरपालिक ठोस अपशिष्ट जैसे स्त्रोतों से विद्युत का उत्पादन 'सुयोग्यता क्रमानुसार प्रेषण सिद्धान्तों (मेरिट आर्डर डिस्पैच प्रिन्सीपल्स)' के अध्यधीन न होगा।

ग) विनियम 7 (ख) में उल्लेखित से अन्य नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन/सह– उत्पादन संयंत्र जिनकी क्षमता 2 मेगावाट से कम है, 'सुयोग्यता क्रमानुसार प्रेषण सिद्धान्तों' के अध्यधीन न होंगे।

8. **ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन/सह–उत्पादन द्वारा विद्युत का आहरण:**

विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी से उसके स्वयं के उपयोग हेतु ग्रिड से समकालन (सिंक्रोनाईजेशन), संयंत्र के बन्द हो जाने की अवधि के दौरान सहायक इकाईयों (आक्जीलरी) हेतु प्रारंभिक विद्युत प्रक्रिया (स्टार्टअप पावर निष्पादित करने) या नियोजित अथवा अनिवार्य अवरोध या फिर अन्य आकस्मिकताओं के दौरान या (परन्तु निर्माण हेतु कदापि नहीं) पारेषण या वितरण प्रणाली से संयोजित ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत के उत्पादक/सह–उत्पादक को विद्युत का आहरण करने की पात्रता होगी तथा उक्त अवधि हेतु उसकी बिलिंग खुदरा प्रदाय टैरिफ आदेश के अनुसार की जाएगी।

9. **अन्य प्रयोज्य शर्तें**

9.1 भुगतान की क्रियाविधि वह होगी जैसा कि वह आयोग द्वारा समय–समय पर जारी विनियम/विद्युत–दर आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए।

9.2 वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के ऐसे उपभोक्ता, जो ऊर्जा के नवकरणीय स्त्रोतों से विद्युत प्रदाय का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, की संविदा मांग की कमी को समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 {क्रमांक आरजी–I(i), वर्ष 2013} के प्रावधान के अनुसार अनुज्ञेय किया जाएगा।

9.3 सौर तथा पवन ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन संयन्त्र हेतु पूर्वानुमान अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन, ऊर्जा लेखांकन तथा व्यवस्थापन 15–मिनट के समय खण्ड (टाईम ब्लाक) के अन्तर्गत समय–समय पर यथासंशोधित मप्रविनिआ (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन, व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 के अनुसार उपरोक्त विनियमों में विनिर्दिष्ट सीमाओं के अध्यधीन किया जाएगा। पवन तथा सौर ऊर्जा को छोड़कर अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संयन्त्रों का पूर्वानुमान अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन, ऊर्जा लेखांकन तथा व्यवस्थापन 15–मिनट के समय खण्ड (टाईम ब्लाक) के अन्तर्गत समय–समय पर यथासंशोधित तथा तत्समय प्रचलित मप्रविनिआ सन्तुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2015 और मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता, 2019 के अनुसार किया जाएगा।

9.4 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 के अन्तर्गत प्रयोज्य चक्रण प्रभारों, प्रतिराज्यानुदान (क्रास सबसिडी) अधिभार, अतिरिक्त अधिभार तथा ऐसे अन्य प्रभारों की गणना ऐसी दर पर की जाएगी जैसा कि आयोग द्वारा समय–समय पर जारी खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ आदेश के अन्तर्गत निर्णय लिया जाए।

10. **अधिकोषीकरण (बैंकिंग)**

10.1 प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से सम्पूर्ण उत्पादित विद्युत–ऊर्जा प्रदाय संबंधी सुविधा निम्न शर्तों के अधीन उपलब्ध कराई जाएगी :

(एक) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान, ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से उत्पादित समस्त ऊर्जा अधिकोषीकरण हेतु अनुज्ञेय की जा सकेगी :

परन्तु यह कि नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्रों को जिन्हें इन विनियमों के विनियम 11.4(क) के अधीन वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ पंजीकृत किया हैं, को इन विनियमों के अधीन प्रावधानित अधिकोषीकरण (बैंकिंग) सुविधा प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।

(दो) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में विद्युत ऊर्जा के अधिकोषीकरण के लेखे का प्रमाणीकरण एमपी पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड/वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा किया जाएगा।

(तीन) अधिकोषित की गई ऊर्जा की मात्रा की वापसी एमपी पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड/वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सुनिश्चित किये गये समय के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान अधिकोषीकरण प्रभारों के प्रति अधिकोषित ऊर्जा में से 5% मात्रा घटा करके की जाएगी।

(चार) यदि तिस पर भी वित्तीय वर्ष के अंत में अधिकोषित की गई विद्युत की मात्रा का कोई अंश असमायोजित रह जाता है तो इस प्रकार की अवशेष विद्युत को क्रय की गई ऊर्जा माना जाएगा तथा इसका भुगतान विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी/एमपी पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा मध्यप्रदेश राज्य हेतु उक्त वर्ष के दौरान, यथास्थिति, सौर/पवन बोली प्रक्रिया (बिडिंग) में पायी गई न्यूनतम विद्युत–दर के बराबर दर पर किया जाएगा। जहां उक्त वर्ष के दौरान कोई भी ऐसी दर न पाई जाए वहां अन्तिम पूर्व वर्ष में उपलब्ध न्यूनतम विद्युत–दर पर विचार किया जाएगा। सौर या पवन से अन्य नवकरणीय ऊर्जा संयंत्र के प्रकरण में, प्रयोज्य दर आयोग द्वारा उक्त अवधि के लिये वितरण अनुज्ञप्तिधारियों हेतु प्रचलित उसके खुदरा विद्युत–प्रदाय टैरिफ आदेश में अवधारित की गई लागू औसत विद्युत प्रदाय दर होगी।

11. अधिशेष ऊर्जा के विक्रय हेतु पात्रता, ऊर्जा लेखांकन तथा व्यवस्थापन और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध (केप्टिव) विद्युत उत्पादन संयंत्रों हेतु प्रयोज्यता की रीति

11.1 नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत उत्पादन संयंत्रों द्वारा अधिशेष ऊर्जा के विक्रय हेतु पात्रता

क) नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत उत्पादन संयंत्र, भले ही वह उपयोगकर्ता(ओं) के परिसर के बाहर स्थापित किया गया हो, के माध्यम से इन विनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए वितरण अनुज्ञप्तिधारी की शक्ति के अनुसार अधिशेष विद्युत विक्रय की पात्रता होगी, परन्तु यह कि

(एक) ऐसे आबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयन्त्र का/के उपयोगकर्ता अनिवार्य रूप से मध्यप्रदेश राज्य में किसी विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी का/के उपभोक्ता होगा/होंगे।

(दो) विद्युत की निकासी हेतु अधोसंरचना विकास के लिये किये गये व्यय, यदि कोई हों, तो वे नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत–उत्पादन संयंत्र के स्वामी द्वारा वहन किये जाएंगे।

(तीन) आबद्ध उपभोक्ता अपने परिसर के भीतर समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड संयोजित शुद्ध मापन) विनियम, 2015 के अनुसार शुद्ध मापन (नेट मीटरिंग) की सुविधा प्राप्त नहीं कर रहा है।

ख) आबद्ध (केप्टिव) नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्र को इन विनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए तृतीय पक्ष को अपनी अधिशेष ऊर्जा विक्रय करने की पात्रता होगी : परन्तु यह कि

(एक) विद्युत की निकासी तथा आपूर्ति हेतु अधोसंरचना विकास पर किये गये व्यय यदि कोई हों, तो वे यथास्थिति, नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध (केप्टिव) विद्युत उत्पादन संयंत्र के स्वामी अथवा तृतीय पक्ष उपभोक्ता द्वारा वहन किए जाएंगे।

(दो) तृतीय पक्ष उपभोक्ता अपने परिसर के भीतर समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड संयोजित शुद्ध मापन) विनियम, 2015 के अनुसार शुद्ध मापन (नेट मीटरिंग) की सुविधा प्राप्त नहीं कर रहा है।

11.2 **पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, ऊर्जा लेखांकन तथा व्यवस्थापन –**

क) सौर तथा पवन ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र हेतु पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन–व्यवस्थापन, ऊर्जा लेखांकन तथा व्यवस्थापन समय–समय पर यथासंशोधित मप्रविनिआ (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन–व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 के उपबन्धों के अनुसार 15 मिनट के समय–खण्ड (टाईम–ब्लाक) वार के आधार पर उपयुक्त विनियमों में विनिर्दिष्ट सीमाओं के अध्यधीन किए जाएंगे। पवन तथा सौर ऊर्जा को छोड़कर नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत उत्पादन संयंत्रों हेतु पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन–व्यवस्थापन, ऊर्जा लेखांकन तथा व्यवस्थापन यथाप्रयोज्य तथा समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत सन्तुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2015 एवं मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता के प्रावधानों के अनुसार 15 मिनट के समय–खण्ड (टाईम–ब्लाक) वार के आधार पर किया जाएगा :

परन्तु यह कि नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत–उत्पादन संयन्त्रों द्वारा हितग्राही उपभोक्ताओं को प्रदाय की गई ऊर्जा का लेखांकन तथा व्यवस्थापन सम्पूर्ण बिलिंग अवधि हेतु प्रचलित अनुबन्ध के अनुसार ऐसे उपभोक्ताओं को लागू 15 मिनट के समय–खण्ड के अन्तर्गत किया जाएगा।

ख) किसी नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत उत्पादन संयंत्र के माध्यम से अन्तःक्षेपित अधिशेष ऊर्जा का मापन प्रत्येक 15 मिनट के समय खण्ड (टाईम–ब्लाक) हेतु किया जाएगा तथा अधिशेष ऊर्जा की गणना की जाएगी। ऐसी अधिशेष ऊर्जा का व्यवस्थापन प्रत्येक बिलिंग अवधि के अन्त में उक्त वर्ष हेतु विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अंतर्गत सौर/पवन ऊर्जा की बोली प्रक्रिया में पाई गई न्यूनतम विद्युत–दर के अनुसार किया जाएगा जिस हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी/एमपी पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा, यथास्थिति, सौर/पवन विद्युत उत्पादन संयंत्रों पर आधारित आबद्ध विद्युत उत्पादन आधारित संयन्त्र के साथ विद्युत क्रय अनुबन्ध निष्पादित किया गया हो। यदि उक्त वर्ष के लिये न्यूनतम विद्युत–दर पाई नही जाती है तो पूर्व अंतिम वर्ष में पाई गई विद्युत–दर पर व्यवस्थापन किया जाएगा। सौर/पवन को छोड़कर किसी अन्य नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत उत्पादन के स्त्रोत के प्रकरण में प्रत्येक बिलिंग अवधि के अंत में ऐसी अधिशेष ऊर्जा का व्यवस्थापन आयोग द्वारा उक्त अवधि हेतु उसके खुदरा विद्युत–प्रदाय टैरिफ आदेश में वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु प्रचलित अवधारित की गई प्रयोज्य समेकित (पूल्ड) विद्युत क्रय लागत के आधार पर किया जाएगा।

ग) यदि नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध (केप्टिव) विद्युत उत्पादन संयंत्र से युक्त नवीकरणीय ऊर्जा आबद्ध उपभोक्ता ग्रिड से विद्युत का आयात करता हो तो इस प्रकार की ऊर्जा का निपटान/व्यवस्थापन वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु प्रचलित खुदरा विद्युत–प्रदाय टैरिफ आदेश में ऐसे आबद्ध उपभोक्ता हेतु लागू विद्युत–दर पर किया जाएगा तथा ऐसी ऊर्जा का व्यवस्थापन मध्यप्रदेश राज्य में संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के आबद्ध उपयोगकर्ताओं के साथ निष्पादित तत्संबंधी अनुबन्ध के उपबन्धों के अनुसार नियंत्रित किया जाएगाः

> परन्तु यह कि नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र द्वारा उत्पादित की गई आधिक्य ऊर्जा को ग्रिड से नवीकरणीय ऊर्जा के आबद्ध उपयोगकर्ता के माध्यम से आयात की गई ऊर्जा द्वारा समायोजित नहीं किया जाएगा।

घ) आबद्ध विद्युत उत्पादन संयंत्र आधारित नवीकरणीय ऊर्जा का आबद्ध उपभोक्ता का प्रतिसहायतानुदान प्रभार का भुगतान करने का दायित्व न होगा परन्तु उसे विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 के अधीन यथाप्रयोज्य चक्रण प्रभारों, तथा अतिरिक्त अधिभार का भुगतान करने का दायित्व होगा तथा उसे अपने स्वयं के उपयोग के लिये या आबद्ध उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग हेतु, जैसा कि इसे अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है, अपने संयंत्र से गंतव्य स्थल तक पारेषण में होने वाली उत्पादित विद्युत की हानियों को वहन करना होगा :

> परन्तु आबद्ध विद्युत खपत, यथास्थिति, वितरण और/या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की वितरण और/या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली के उपयोग के बिना की जा रही हो तो आबद्ध उपयोगकर्ता हानियों को वहन नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि आबद्ध उपयोगकर्ताओं से भिन्न अन्य किसी उपभोक्ता को ऊर्जा प्रदाय की दशा में ऐसे उपभोक्ता या व्यक्ति को समस्त निर्बाध (खुली) पहुंच प्रभारों का भुगतान जिसमें सहायतानुदान प्रभार, अतिरिक्त प्रभार और आयोग द्वारा यथाअवधारित चक्रण प्रभार सम्मिलित है, का भुगतान करना होगा तथा हानियों को भी वहन करना होगा।

ङ) ऐसे नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत–उत्पादन संयंत्र के आबद्ध उपभोक्ता/उपयोगकर्ता को आयोग द्वारा एचवी–3 श्रेणी में निर्धारित वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए जारी किए गए प्रयोज्य खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ आदेश में लागू की गई "आबद्ध विद्युत संयंत्र उपभोक्ताओं हेतु छूट" की पात्रता नही होगी।

च) नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत–उत्पादन संयंत्र प्रभारी का यह सुनिश्चित करने का दायित्व होगा कि वह विद्युत नियम, 2005 तथा अनुवर्ती संशोधनों में यथाउपबंधित आबद्ध विद्युत उत्पादन संयंत्रों की अपेक्षाओं का ध्यान रखे :

परन्तु किसी वित्तीय वर्ष में विद्युत नियम, 2005 में यथाउपबंधित आबद्ध वर्ष में उत्पादन संयंत्र की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं की जाती है तो उत्पादन संयन्त्र की उक्त वर्ष में आबद्ध उत्पादन संयंत्र के प्रलाभों की पात्रता नही होगी।

11.3 नवीकरणीय ऊर्जा के आबद्ध विद्युत–उत्पादन संयंत्रों द्वारा अधिशेष ऊर्जा का विक्रय

वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत–उत्पादन संयंत्र से क्रय की गई अधिशेष विद्युत के लिये वितरण अनुज्ञप्तिधारी को नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध अर्ह होंगे।

11.4 आवेदन को प्रक्रियाबद्ध करना तथा प्रयोज्य शुल्क :–

(क) विनियम 11 के उपबन्धों अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई सुविधा प्राप्त करने हेतु आशयित नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत–उत्पादन संयंत्रों के इच्छुक आवेदकों को अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार विनिर्दिष्ट प्ररूप में वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ स्वयं का पंजीयन, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के नामांकित कार्यालय में पंजीयन शुल्क रू. 1000/– (एक हजार मात्र) जमा करना होगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी, इस बारे में अपने तत्संबंधी नामांकित कार्यालयों के विवरण अपनी बेबसाईट पर उपलब्ध कराएंगे। वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपनी बेबसाईट पर और नामांकित कार्यालय में प्ररूप उपलब्ध कराएंगे। विद्यमान आबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा उपभोक्ता जो उपरोक्त सुविधा प्राप्त करने का आशय रखते हों, को उनका आवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा तथा उन्हें अपने नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत–उत्पादन संयंत्र का संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ पंजीयन कराना होगा। विद्यमान नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध–उत्पादन संयंत्र पर कोई भी फीस उद्ग्रहणीय नहीं होगी।

ख) पंजीयन शुल्क या, यथास्थिति, आवश्यक प्रलेखों के साथ समस्त प्रकार से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी आवेदन की पावती देगा।

ग) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, यदि चाही गई निर्बाध पहुंच विद्यमान संविदा मांग से अधिक है, तो संभाव्यता प्रतिवेदन के अनुसार अपेक्षित आबद्ध उपभोक्ता के साथ निष्पादित किए जाने वाले अनुबंध की प्रति, उपभोक्ता द्वारा जमा की जाने वाली प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु रकम, यदि कोई हो के साथ, यथास्थिति, आवेदन की स्वीकृति/निरस्तीकरण के बारे में उपभोक्ता को संसूचित करेगा।

भाग--ख

12. नवीकरणीय क्रय आबन्धन (आरपीओ)

12.1 नवीकरणीय क्रय आबन्धन (आरपीओ) जैसा कि इसे पूर्व में विनियम 3.1 तथा 3.3 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किया गया है, आबन्धित इकाईयों द्वारा सदैव विशिष्ट प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा की अधिप्राप्ति, यदि कोई हो, हेतु आरक्षित रखी जाएगी तथा विनियम 3.1 के उपबन्धों के अध्यधीन आवश्यकतानुसार इसे अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों की ओर, केवल अस्थाई आधार पर व्यपवर्तित किया जा सकेगा तथा यह भी कि इस स्त्रोत से उपलब्ध समस्त ऊर्जा को क्रय किया जाएगा जब तक यह पूर्व में उल्लेखित प्रतिशत तक न पहुंच जाए तथा यदि फिर भी तत्पश्चात पूर्व में निष्पादित किये गये विद्युत क्रय अनुबन्धों जिनके संबंध में आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया हो, के अन्तर्गत की गई ऊर्जा क्रय बचनबद्धताओं पर विचार करते हुए, कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्रय, कुल नवीकरणीय क्रय आबन्धन (आरपीओ) से अधिक हो जाता हो।

12.2 इसके अतिरिक्त, नवीकरणीय ऊर्जा को क्रय करने संबंधी इस प्रकार की बचनबद्धता में क्रय, यदि कोई हों, शामिल होंगे जो नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से आबंधित इकाईयों द्वारा पूर्व से ही निष्पादित किये जा रहे हैं।

12.3 इस विनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, ऊर्जा के इस प्रकार के क्रय भारत सरकार नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा अनुमोदित स्त्रोतों से ही किये जाएंगे।

12.4 नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों के क्रय बाबत, पूर्व में वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से निष्पादित विद्युत क्रय अनुबन्धों के अन्तर्गत विद्युत का क्रय, जिसके बारे में आयोग द्व अनुमोदित किया गया हो, उनका क्रय उनकी वर्तमान वैधता तक जारी रखा जाएगा, भले ही इस प्रकार के निष्पादित विद्युत क्रय अनुबन्ध उपरोक्त उल्लेखित निर्दिष्ट प्रतिशत से अधिक क्यों न हों।

13. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के विनियमों के अन्तर्गत जारी प्रमाण पत्र

13.1 इन विनियमों की निबन्धन तथा शर्तो के अध्यधीन रहते हुए, आयोग द्वारा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु, नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र को मान्यता तथा इन्हें जारी किये जाने के संबंध में जारी विनियम, यथा, 'Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issue of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010'

के अन्तर्गत जारी प्रमाण–पत्रों को आबन्धित इकाईयों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत से विद्युत क्रय के संबंध में उनके अधिदेशित प्राप्त दायित्वों के संबंध में पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से निर्वहन हेतु एक वैध विलेख के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

13.2 ऐसे दिशा–निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि आयोग द्वारा समय–समय पर जारी किये जाएं, इन विनियमों के अन्तर्गत आबन्धित इकाईयां नवीकरणीय क्रय आबन्धन के परिपालन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्रों की अधिप्राप्ति के संबंध में केन्द्रीय आयोग द्वारा अधिसूचित विनियम, यथा 'Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issue of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010' के अनुरूप कार्यवाही करेंगी।

13.3 आबन्धित इकाईयों द्वारा पावर एक्सचेंज से क्रय किये गये प्रमाण–पत्र केन्द्रीय आयोग के विनियमों की शर्तों के अनुसार आयोग के समक्ष क्रय के 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत किये जाएंगे।

14. राज्य अभिकरण (स्टेट एजेन्सी)

14.1 आयोग एक अलग से आदेश जारी करके राज्य अभिकरण नामित करेगा ।राज्य अभिकरण आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा तथा केन्द्रीय आयोग के नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र विनियमों, अर्थात 'Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issue of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010' के अधीन जारी की गई प्रक्रियाओं तथा नियमों से सुसंगत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

14.2 राज्य अभिकरण विभिन्न स्त्रोतों, यथा, नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन कम्पनियों, आबंधित इकाईयों, राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) आदि से सूचना के संग्रहण हेतु समुचित संलेख (प्रोटोकाल) की संरचना करेगा तथा आबंधित इकाईयों द्वारा नवीकरणीय क्रय आबंधनों के लक्ष्यों के अनुपालन की संगणना करेगा।

14.3 प्रत्येक आबंधित इकाई द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा अधिप्राप्ति तथा नवीकरणीय क्रय आबंधन अनुपालन का संक्षिप्त विवरण पत्र राज्य अभिकरण द्वारा अपनी वेबसाईट पर प्रत्येक त्रैमास में संचयी आधार पर प्रकाशित किया जाएगा।

14.4 राज्य अभिकरण आयोग को आबंधित इकाईयों द्वारा नवीकरणीय क्रय आबन्धन के अनुपालन की त्रैमासिक अद्यतन स्थिति निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करेगा तथा उपयुक्त उपाय जैसा कि वे ऐसे आबन्धन के अनुपालन हेतु आवश्यक हों, सुझाव दे सकेगा।

14.5 यदि आयोग इस बात से सन्तुष्ट हो कि राज्य अभिकरण अपने दायित्वों का निर्वहन सन्तोषजनक ढंग से नहीं कर पा रहा है तो वह सामान्य अथवा विशेष आदेश के माध्यम से किसी अन्य इकाई को राज्य अभिकरण के रूप में कार्य करने बाबत मनोनीत कर सकेगा।

15. चूक का प्रभाव

15.1 ऐसी दशा में, जबकि आबन्धित इकाईयां किसी वित्तीय वर्ष में इन विनियमों के अधीन प्रावधानित पावर एक्सचेंज से नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से ऊर्जा क्रय करने के आबन्धन के अधिदेश की पूर्ति न करती हों तथा पावर एक्सचेंज से प्रमाण–पत्रों का क्रय भी करती हों, तो :

(एक) आयोग आबन्धित इकाई को एक पृथक निधि (फण्ड) जमा करने बावत निर्देशित कर सकेगा जिसका संधारण ऐसी आबन्धित इकाई द्वारा किया जाएगा जो ऐसी राशि होगी जिसका निर्धारण आयोग द्वारा प्रमाण–पत्रों के क्रय हेतु उक्त सीमा तक नवीकरणीय क्रय आबन्धन में यूनिटों की कमी के तथा प्रमाण–पत्रों की वहनीय दर के आधार पर, जो उपयोग किये जाने हेतु आवश्यक होगा, किया जाएगा जैसा कि इसके संबंध में आयोग द्वारा आंशिक रूप से प्रमाण–पत्रों के क्रय हेतु तथा आंशिक रूप से पारेषण अधोसंरचना के विकास के लिये विद्युत उत्पादन केन्द्रों से ऊर्जा की निकासी के लिये नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित निर्देशित किया जाए :

परन्तु यह कि आबन्धित इकाईयों को उपरोक्त खण्ड (एक) के अनुसरण में, आयोग की पूर्व अनुमति के बगैर सृजित निधि के उपयोग हेतु प्राधिकृत नहीं किया जाएगा।

(दो) आबन्धनों को परिपूर्ण किये जाने संबंधी कमी की सीमा के अधीन, आयोग राज्य–समन्वयन अभिकरण के किसी अधिकारी को पावर एक्सचेंज से निधि की राशि में से वांछित प्रमाण–पत्रों की संख्या अंधिप्राप्ति हेतु प्राधिकृत कर सकेगा।

15.2 यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा निर्देशित राशि को संसूचित तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करने में चूक करता हो तो इसे अनुज्ञप्ति की शर्त का उल्लंघन माना जाएगा।

15.3 इसके अतिरिक्त, जहां कोई व्यक्ति, जिसके द्वारा, तथापि, इन विनियमों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है, नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों अथवा नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्रों के माध्यम से वांछित ऊर्जा का प्रतिशत क्रय करने में चूक करता हो तो उसे अधिनियम की धारा 142 के अधीन अर्थदण्ड का भुगतान करना होगा, जैसा कि आयोग द्वारा इस बारे में निर्णय लिया जाए।

15.4 नवीकरणीय ऊर्जा अथवा प्रमाण–पत्रों की अनुपलब्धता के कारण यदि नवीकरणीय क्रय आबन्धन के अनुपालन में यथार्थ कठिनाई उत्पन्न हो तो आबंधित इकाई आयोग से अनुपालन आवश्यकता को आगामी वर्ष तक आगे बढ़ाये जाने बाबत सम्पर्क कर सकेगा तथा आयोग प्रकरण–दर–प्रकरण आधार पर मामले में यथोचित दृष्टिकोण अपनाएगा।

भाग–ग

16. संशोधन हेतु शक्ति

16.1 आयोग किसी भी समय इन विनियमों के उपबंधों में जोड़ने, बदलने, परिवर्तन करने, सुधारने अथवा संशोधन करने संबंधी कार्रवाई कर सकेगा।

16.2 किसी विवाद की दशा में, मामले को आयोग को निर्दिष्ट किया जा सकेगा, जिसका इस बारे में निर्णय अन्तिम होगा।

16.3 ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से ऊर्जा की अधिप्राप्ति बाबत विभिन्न विद्युत–दर आदेशों तथा इन विनियमों से पूर्व अधिसूचित अन्य विनियमों में भले ही कुछ भी निहित क्यों न हो, इन विनियमों के प्रावधान ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत के सह–उत्पादन तथा उत्पादन को लागू होंगे।

17. **आदेशों को जारी करना तथा निर्देश :** विद्युत अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए आयोग इन विनियमों के क्रियान्वयन के बारे में आदेश तथा निर्देश जारी कर सकेगा।

18. **कठिनाइयां दूर करने की शक्ति**

इन विनियमों की उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने पर, आयोग किसी आदेश द्वारा ऐसे प्रावधान कर सकेगा जो इन विनियमों अथवा अधिनियम की उपबन्धों के विरोधाभासी न होंगे जैसा कि आयोग को उचित प्रतीत हो तथा कठिनाइयां दूर करने में वांछनीय हो।

19. **निरसन तथा व्यावृत्ति**

19.1 विनियम अर्थात् "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन} (पुनरीक्षण – प्रथम) विनियम 2010, [आरजी–33(I) वर्ष 2010] एवं इसके समस्त संशोधन, जैसा कि वह इस विनियम की विषयवस्तु के साथ प्रयोज्य हैं, को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है ।

19.2 इन विनियमों की कोई भी बात आयोग को ऐसे किसी आदेश को पारित करने हेतु अन्तर्निहित शक्तियों को सीमित अथवा प्रभावित नहीं करेगी जो न्याय के उद्देश्य प्राप्त करने अथवा आयोग की प्रक्रिया के दुरूपयोग को रोकने के उद्देश्य से आवश्यक हो।

19.3 इन विनियमों में किया गया कोई भी उल्लेख आयोग को विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुरूपता में मामलों में व्यवहार करने के लिये एक ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगा, जो यद्यपि इन विनियमों के प्रावधानों से भिन्न हो, लेकिन जिसे आयोग मामले या मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में और इसके कारणों को अभिलिखित करते हुए, आवश्यक या समीचीन समझता हो।

19.4 इन विनियमों में किया गया कोई भी उल्लेख स्पष्टतया या परोक्ष रूप से आयोग को विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) के अधीन किसी मामले में कार्यवाही करने से या शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा, जिसके लिये कोई संहिता निर्मित न की गई हो और आयोग इस तरह के मामलों में ऐसी कार्यवाही कर सकता है और ऐसी शक्तियों का प्रयोग या कृत्य कर सकता है, जैसा कि आयोग उचित समझता है।

टीप : "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन} (पुनरीक्षण – द्वितीय), विनियम 2021, के हिन्दी रूपांतरण की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जावेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा ।

आयोग के आदेशानुसार,
गजेन्द्र तिवारी, सचिव.